

11055/1995 (153/2010) 24/12/95

Order with the signature of the court  
 Officer action taken with date  
 11055/1995 (153/2010) 24/12/95  
 4

न्यायालय  
 श्री सामुएल समद  
 राजस्व पदाधिकारी धनबाद  
 धारा 87 के अर्न्तगत  
 वाद संख्या :- 153/2010

12-9-5  
 17545  
 10


श्रीमति इन्दु पाण्डेय पति श्री शुभांक चन्द्र पाण्डेय वो शुभांक चन्द्र पाण्डेय पिता स्व० चन्द्र सरोज पाण्डेय जाति ब्राहमण निवासी बोकारो धर्मल (निकट डी० भी० सी० हॉस्पिटल) बोकारो जिला बोकारो.....वादीगण

बनाम

सुनील कुमार पाल वो जयन्त पाल पिता केदारनाथ पाल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

वादपत्र का विषय

खेसरा	दर्ज रकवा	माँग रकवा
602	08.98 ए०	02कदठा यानी 3.30डी०
68	02.16 ए०	06कदठा यानी 10 डी०
229,245		



उक्त वाद छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 87 के अर्न्तगत हाल खाता सुधार हेतु वन्दोबस्त पदाधिकारी धनबाद के न्यायालय में समय सीमा के अन्दर दायर किया गया है, जो सुनवाई एवं अन्तिम रूप से निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

सुनवाई हेतु वाद प्राप्ती के पश्चात वादी को सुचना निर्गत किया गया। वादी उपस्थित होकर प्रारम्भिक त्रुटियों का निराकरण किये। सुनवाई हेतु वाद प्रविष्ट कर प्रतिवादी को सम्मन निर्गत किया गया। सम्मन तामिला प्रतिवेदन अभीलेख में रक्षीत है। सम्मन तामिला के पश्चात भी प्रतिवादी न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीपक्ष को लिखित जबाब दाखिल करने से बन्चीत करते हुए वादपत्र की कार्यवाई एकपक्षिय प्रारम्भ कर वादी को गवाह प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया। वादी की ओर से गवाह अशोक कु० पाण्डेय पिता धिरन पाण्डेय का सशपथ ब्यान दाखिल किया गया। गवाह मुक्त कर वादी को मूल प्रमाण दाखिल करने हेतु आदेश दिया गया। वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न प्रमाण दाखिल किया गया-

1. दलील संख्या 2673 दिनांक 05.06.1995 की मूल प्रति

Indu Pandey  
 Indu Pandey